(25)

पत्र संख्या–वनभूमि–39 / 2019– 3844 व0प0

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 03/10/2019

विषय :– झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा सिमडेगा जिलान्तर्गत मौजा–हेठमा(कुरडेग) में 132 / 33 के0वी0 सब–स्टेशन निर्माण हेतु 2.89 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–851 दिनांक–24.07.2019 एवं पत्रांक–948 दिनांक–08.08.2019 तथा महाप्रबंधक (बहु वित्त पोषित परियोजना), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक–364 दिनांक–05.09.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में सिमडेगा जिलान्तर्गत मौजा–हेठमा(कुरडेग) में 132 / 33 के0वी0 सब–स्टेशन निर्माण हेतु 2.89 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No-5-2/2017-FC दिनांक–28.03.2019 द्वारा निर्गत Handbook of Guidelines की कंडिका–4.4.1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक प्रस्ताव में सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :–

(क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202 / 1995 में दिनांक–28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 2.89 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(ग) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।

(घ) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।

(ङ) प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 5 वृक्षों से अधिक का पातन नही किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।

(च) प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले वृक्षों के बदले 100 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(छ) ग्रिड से जो तार बाहर खीचे जाये, उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से उचाई लगभग 20 फीट (Sagging को ध्यान में रखते हुए) से अधिक रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(ज) ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरान्त, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(झ) भविष्य में यदि राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(ञ) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।

(ट) यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

(ठ) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(ड) अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नही किया जायेगा।

(ढ) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति के शर्तो के अनुपालन होने के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

1/10/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वनभूमि–39/2019–3844 व0प0, राँची दिनांक–03/10/2019

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को मूल प्रस्ताव की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

1/10/19

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वनभूमि–39/2019–3844 व0प0, राँची दिनांक–03/10/2019

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची /वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा /वरीय प्रबंधक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0, ट्रांसमिशन डिवीजन, डाल्टेनगंज, पलामू–822101 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/10/19

विशेष कार्य पदाधिकारी।